उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-2/2016/261/तीस-4-2016-20(31)/2004
लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उप नियम (2) के प्राविधानों के अनुसरण में राज्यपाल 01 अक्टूबर, 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों के प्रवर्ग जिसमें कोई गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) पहले से ही नहीं लगी है और उक्त नियमावली के उप नियम (1) के पहले परन्तुक के अधीन नहीं आते हैं, उक्त ऐसे परिवहन यानों में यानों के प्रचालकों द्वारा 01 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित AIS:018/2001 के मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर की अधिकतम पूर्व नियत गति या ऐसी निम्न गति सीमा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विर्निदिष्ट हो, गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित करने या लगाने के निर्देश देते हैं।

2. राज्यपाल अग्रतर यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त नियमावली के उप नियम (2) के परन्तुक में किये गये प्राविधानों के अनुसरण में 01 अक्टूबर, 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यान के प्रवर्ग और परिवहन यान जैसे-डम्पर, टैंकर या स्कूल बस और जिनमें, कोई गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) पहले ऐसी नहीं लगी है, ऐसे यानों के प्रचालकों को समय-समय पर यथा संशोधित AIS:018/2001 मानक के अनुरूप, नियत की गयी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) ऐसी अन्य कम गति जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, सीमित करने वाले, सुसज्जित करना या लगाना आवश्यक होगा।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2016/261(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक फरवरी, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या- 2/2016/261(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2/2016/261/XXX-4-16-20(31)/2004, dated February 19 , 2016

Notification

No.2/2016/261/XXX-4-2016-20(31)/2004

Lucknow Dated February 19 , 2016

In pursuance of sub-rule (2) of rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 the Governor is pleased to direct the fitment of Speed Governor by the operator in the categories of transport vehicles registered prior to the 1st October, 2015 which are not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), and are not covered under the first proviso to sub-rule (1) of the said rules, that such transport vehicles shall be equipped or fitted by the operators of those vehicles on or before 1st April, 2016 with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), having maximum pre-set speed of 80 kilometer per hour or such lower speed limit as specified by the State Government from time to time, conforming to the Standard AIS:018/2001 as amended from time to time.

2. The Governor further directs that in the categories of transport vehicles carrying hazardous goods and those transport vehicles that are dumpers, tankers or school buses, registered prior to the 1st October, 2015 and not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), shall be equipped or fitted by the operators of such vehicle, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), having maximum pre-set speed of 60 kilometer per hour or such lower speed limit as may be specified by the State Government, conforming to the Standard AIS:018/2001 as amended from time to time.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।